

(3)

उत्तराखण्ड शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या:- /XVII-3/ 10-36(स0क0) / 2002 टी0सी0-3

देहरादून: दिनांक: 22 जून, 2010

अधिसूचना

वकफ अधिनियम, 1995, (अधिनियम संख्या-43, सन् 1995) की धारा-14 की उपधारा (9) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से निम्नलिखित व्यक्तियों को सरकारी अधिसूचना संख्या-2416 / स0क0 / 2003-36(स0क0) / 2002 दिनांक 06 सितम्बर, 2003 द्वारा स्थापित उत्तराखण्ड वकफ बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त करते हैं:—

1. मोहम्मद शाहजाद,
✓ सदस्य विधानसभा, उत्तराखण्ड,
बहादराबाद, हरिद्वार।
2. हाजी तसलीम अहमद,
✓ सदस्य विधानसभा, उत्तराखण्ड, (ग्राम पा० सुल्लानपुर
लालढांग, हरिद्वार। *आदमपुर, हरिद्वार*)
लौला - लक्ष्मी
3. सुश्री रजिया वेग,
✓ अधिवक्ता,
60-घोसी गली,
देहरादून।
4. मोहम्मद अकरम,
इन्तेजामिया कमेटी,
जामा मस्जिद, रामनगर,
नैनीताल।
5. श्री हफीजुर्रहमान,
38, मौहल्ला सती,
रुड़की, हरिद्वार।
6. डॉ जाकिर हुसैन,
15-गांधी नगर,
हल्द्वानी-नैनीताल।
7. श्री असगर अली,
ग्राम-जैनपुर झंझेड़ी,
पौ०-लण्ठौरा, ~~लक्ष्मी~~
हरिद्वार। *लक्ष्मी-लक्ष्मी* ८० - कड़वा
8. श्री मुफ्ती रईस अहमद कासमी,
आजाद कॉलोनी, निकट-आई०एस०बी०टी०,
देहरादून।
9. श्री हाजी राव शराफत अली,
साबरी कॉलोनी, गली नं०-२,
पिरान-ए-कलियर शरीफ,
रुड़की, हरिद्वार।

10. मौलाना अखलाक हुसैन कासमी,
नई बरती, वार्ड नं 0-13,
जसपुर, उधमसिंह नगर।
11. श्री अमीररुल हसन,
अधीक्षण अभियन्ता,
अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल-1,
सिंचाई विभाग, देहरादून।

आज्ञा से,

(एस० के० मुट्टू)
प्रमुख सचिव

संख्या : (1) / XVII-3 / 10-36(स०क०) / 2002 टी०सी०-3

प्रतिलिपि : निदेशक, फोटोलिथो प्रेस, रुड़की (हरिद्वार) को ज्ञापन की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त ज्ञापन की 500 प्रतियां शासन के इस अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(आर०क० चौहान)
अनु सचिव

संख्या : ८१० (2) / XVII 3 / 10-36(स०क०) / 2002 टी०सी०-3

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13. निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
14. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
15. निजी सचिव, मा० समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड।
16. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री समाज कल्याण उत्तराखण्ड।
17. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
18. समर्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड।
19. आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल, नैनीति विभाग।
20. समर्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
21. निदेशक, समाज कल्याण उत्तराखण्ड।
- ✓ 22. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड।
23. समर्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून।
24. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर०क० चौहान)
अनु सचिव

(2)

निर्वाचन प्रमाण पत्र

मैं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड प्रमाणित करता हूँ कि आज दिनांक 01.07.2010 को श्री हाजी राव शराफत अली पुत्र स्व0 श्री रशीद अहमद निवासी साबरी कॉलानी गली न0 2 पिरान-ए-कलियर शरीफ, रुडकी जिला हरिद्वार को वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 की उप धारा 8 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित घोषित करता हूँ और यह कि उसके प्रमाण स्वरूप मैंने उन्हें यह निर्वाचन प्रमाण-पत्र निर्गत कर प्रदान किया।

दिनांक 01.07.2010

स्थान : देहरादून।



01/7/10
 (सैयद राहत अली)
 मुख्य कार्यपालक अधिकारी
 उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड
 मुख्य कार्यपालक अधिकारी
 उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड

01/7/10
 Shroff